समाचार-प्रकाषनार्थ:-

षहर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर कार्यवाही निरंतर जारी
जिला, निगम व पुलिस विभाग की संयुक्त मुहिम के तहत
शहर सीमा के कनेरी रोड से नियम विपरित निर्माण हटाये

रतलाम 12 नवम्बर । कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर लगाम लगाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के मार्गदर्शन में आज कनेरी रोड पर विकसित हो रही अवैध कालोनी से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाये गये यह मुहिम आगे भी सतत जारी रहेगी।

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कालोनी विकास की अनुमति के बिना अवैध रूप से कालोनी निर्माण करने पर मध्यप्रदेष नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा षर्तें) नियम 1998 के अन्तर्गत अवैध कालोनाईजेषन के तहत एफआईआर दर्ज कराई जायेगी तथा नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण तोड़ने हेतु निगम द्वारा निर्धारित 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से राषि वसूली जायेगी जिसके तहत उक्त कालोनी निर्माण करने वालो को अवैध निर्माण तोड़ने की राषि वसूलने हेतु षीघ्र नोटिस जारी किया जा रहा है। श्री झारिया ने बताया कि अवैध कालोनियों और शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम सतत जारी रखी जाएगी।

जिला, निगम और पुलिस प्रशासन की इस संयुक्त टीम द्वारा षुक्रवार को कनेरी रोड पर सर्वे क्रमांक 863/1 रकबा 1.89 हैक्टर भूमि पर भूमि पर श्रीमती राधाबाई षर्मा, राकेष षर्मा, विषाल षर्मा, व अन्य 17 द्वारा सीमेन्ट कांक्रीट सड़क, बाउण्ड्रवॉल व 6 स्ट्रीट लाईट पोल तथा सीवर लाईन कार्य को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषन में राजस्व निरीक्षक, पटवारी व कार्यपालन यंत्री सुरेन्द्र चन्द्र व्यास, उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, राजेश पाटीदार, ब्रजेष कुषवाह, मनीश तिवारी, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर की उपस्थिति में जेसीबी व डम्पर टेक्ट्रर की सहायता से नियम विपरित निर्माण सीमेन्ट कांक्रीट सड़क, बाउण्ड्रीवॉल, स्ट्रीट लाईट तथा सीवर लाईन कार्य को हटाया गया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियों रिकार्डिग कराई जाकर पंचनामा भी बनाया गया है।

अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कालोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई जावेगी।

स्वच्छता अपनाएं और पॉलीथिन के उपयोग से बचे

स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के तहत डोर टू डोर कचरा निपटान के तरीके समझाए गए

रतलाम 12 नवम्बर । अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के लिए हमें स्वच्छता नामक एक अच्छी आदत को अपने जीवन के साथ जोडऩा चाहिए। स्व 'छता एक पुण्य का काम है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में इसे जरूर अपनाना चाहिए। जो मनुष्य इसे नहीं अपनाते हैं वह बीमारियों से और बहुत बड़े रोगों से बहुत जल्द घिर जाते हैं। और कुछ बीमारियां तो ऐसे होती हैं जो मनुष्य की जान तक ले लेती हैं तथा हर एक दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से फैलती चली जाती है और फिर हो सकता है ये एक छोटी से बीमारी एक महामारी का रूप ले सकती है ।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शुक्रवार को स्व 'छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित विभिन्न जागरुकता गतिविधियों के दौरान व्यक्त किए। इस मौके पर सफाई मित्र समूह ने शहर के एक दर्जन से 'यादा स्थानों पर रांगोलियों के माध्यम से स्व 'छता का संदेश भी दिया। वही कई क्षेत्रों में डोर टू डोर लोगों से सम्पर्क कर उन्हे कचरे निपटान के सही तरीकों से अवगत कराया।

श्री झारिया ने कहां कि आज भी कुछ लोगों में जागरुकता की कमी है या वे अपने परिवार और शहर से प्यार नही करते है। अक्सर देखने में आता है कि लोग घरों का कचरा पॉलीथिन की थैलियों में ही एकत्र कर रहे है जो सभी के लिए नुकसान दायक है। पॉलीथिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस पॉलिथीन का हम इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं वह जल्दी से नष्ट नहीं होता है। अर्थात पॉलिथीन की उम्र बहुत 'यादा वर्षों तक होती है।

श्री झारिया ने कहां कि इसे केवल जलाकर ही नष्ट किया जा सकता है परंतु अगर हम इसे जलाते हैं। तो इससे निकलने वाला विषैला धुंआ हमारे पर्यावरण को बहुत 'यादा मात्रा में दूषित करता है। इसलिए पॉलीथिन का इस्तेमाल बिल्कुल

नहीं करना चाहिए तथा कहीं से भी सामान लाने के लिए कपड़ों से बने थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए।

श्री झारिया ने कहां कि हमें जीवन में स्व ‘छता के महत्व को समझकर दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति स्व ‘छता नहीं ला सकता इसलिए हमें अपने आसपास के मित्रों पड़ोसियों तथा समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों की मदद से अपने आसपास के सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए।

उन्होने नागरिकों से आव्हान किया है कि घर और दुकानों से निकले कचरे का निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग हिस्सों में ही करे। स्व ‘छता के प्रति नागरिकों की जागरुकता जरुरी है तभी हम अपने शहर को देश में स्व ‘छता के मामले में नम्बर-1 बना पाएगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, झोन अधिकारी एपीसिंह,किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

12 नवम्बर को 96 टन से ज्यादा कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 12 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 12 नवम्बर षुक्रवार को 96 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

12 नवम्बर षुक्रवार को डम्पर से 38645, टेªक्टर से 13495, काम्पेक्टर सूखा कचरा 27685 व काम्पेक्टर गीला कचरा 16800 किलो इस तरह कुल 96625 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

4276 पेंषन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंषन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

वार्डवार केन्द्रों व घर-घर जाकर किया जा रहा है सत्यापन

रतलाम 12 नवम्बर । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धा पेंषन, राश्ट्रीय विधवा पेंषन, राश्ट्रीय निःषक्त पेंषन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंषन, विधवा पेंषन, निःषक्त पेंषन, मानसिक बहुविकलांग पेंषन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देषानुसार भौतिक सत्यापन वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर व वार्डवार बनाये गये केन्द्रों पर किया जा रहा है जिसके तहत 12 नवम्बर षुक्रवार तक 4276 पंेषन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 40 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

नगर निगम द्वारा पेंषन पाने वाले हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे वार्ड दरोगा व नियुक्त कर्मचारियों को आवष्यक दस्तावेज बीपीएल राषन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाते की पास बुक, निवासी, जन्म, आयु, चिकित्सक, निःषक्तता, आयकर दाता ना हो, पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र, अंक सूची, मतदाता सूची, मतदाता परिचय-पत्र, महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के तहत जारी जाब कार्ड, उपलब्ध कराकर या वार्डवार बनाये केन्द्र वार्ड 1 अम्बेडकर मांगलिक भवन गांधी नगर, वार्ड 2 रामकला सभागृह लक्ष्मणपुरा, वार्ड 3 राठौड़ समाज धर्मषाला, वार्ड 4 महर्शी दयानन्द वैदिक विद्यालय, वार्ड 5 गुरू रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 6 मार्निंग स्टार स्कूल इंदिरा नगर, वार्ड 7 अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, वार्ड 8 संतनामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर, वार्ड 9 सांई ऐकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड 10 सिंधी गुरूद्वारा मोहन नगर, वार्ड 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड 12 सुमंगल गार्डन कस्तुरबा नगर, वार्ड 13 अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल जवाहर नगर, वार्ड 14 सरस्वती स्कूल काटजू नगर, वार्ड 15 मांगलिक भवन सुभाश नगर, वार्ड 16 काष्यप सभागृह सागोद रोड, वार्ड 17 उत्कृश्ट स्कूल सागोद रोड, वार्ड 18 षांति निकेतन टाटा नगर, वार्ड 19 राधाकृश्ण प्राथमिक विद्यालय दीनदयाल नगर, वार्ड 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड 21 नरसिंह वाटिका सिलावटो का वास, वार्ड 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड 23 ज्योति कान्वेंट स्कूल बाजाली नगर, वार्ड 24 सब्जी फिरोस जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड 25 सगरवंषी माली समाज धर्मषाला, वार्ड 26 संतमीरा स्कूल थावरिया बाजार, वार्ड 27 जमातखाना सैरानीपुरा, वार्ड 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड 29 डीआरपी लाईन आनन्द कालोनी, वार्ड 30 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड 31 षासकीय प्राथमिक स्कूल डोसीगांव,

वार्ड 32 उजाला पैलेस स्टेषन रोड, वार्ड 33 लायंस हॉल पावर हाउस रोड, वार्ड 34 रोटरी हॉल अजंता टॉकिज रोड, वार्ड 35 मेंहदीकुई बालाजी नगर निगम, वार्ड 36 कान्वेंट स्कूल मित्र निवास रोड, वार्ड 37 लॉ कॉलेज आनन्द कालोनी, वार्ड 38 जमातखाना षैरानीपुरा, वार्ड 39 षासकीय प्राथमिक स्कूल षैरानीपुरा, वार्ड 40 श्रीमाली धर्मषाला, वार्ड 41 मोहन टॉकिज, वार्ड 42 माहेष्वरी धर्मषाला कसारा बाजार, वार्ड 43 गणेष मांगलिक भवन रामबाग, वार्ड 44 बोहरा कम्युनिटी हॉल बोहरा बाखल, वार्ड 45 षासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल माणक चौक, वार्ड 46 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, वार्ड 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोड, वार्ड 48 सूरजहॉल वेदव्यास कालोनी, वार्ड 49 सिखवाल धर्मषाला ब्राम्हणों का वास तथा नगर निगम के आईटी सेल में आवष्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवायें।

नगर निगम द्वारा अब तक 7564 आयुश्मान कार्ड बनाये गये
निगम के आईटी सेल में हितग्राही बनवायें आयुश्मान कार्ड

रतलाम 12 नवम्बर । आयुश्मान भारत “निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःषुल्क बनाने का कार्य नगर निगम के आईटी सेल कार्यालय में कार्यालयीन समय में बनाये जा रहे है जिसके तहत 1 अक्टूबर से 11 नवम्बर तक 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि गरीब एवं असहाय परिवारेां पर बीमारियों पर खर्च होने वाले आर्थिक बोझ एवं गुणवत्तापूर्वक इलाज समय पर उपलब्ध कराये जाने हेतु आयुश्मान भारत “निरामयम’ ’ योजना के तहत नगर के षेश रहे पात्र हितग्राहियों के आयुश्मान कार्ड नगर निगम के विकास षाखा स्थित आईटी सेल में बनाये जा रहे है। नगर निगम विकास षाखा स्थित आईटी सेल में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा 41 दिनों में 192 हितग्राहियों के कार्य बनाये जा चुके है। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों व उचित मूल्य की दुकानों पर 7316 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7564 आयुश्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुश्मान कार्ड बनाने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया है कि रतलाम नगर के षेश रहे हितग्राहियों के

आयुश्मान कार्ड निःषुल्क बनाये जाना है। पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन किये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लिये जावें।

2105 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए
स्वरोजगार ऋण से 30 हितग्राही हुए लाभान्वित
पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 12 नवम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यषील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यषील पूंजी हेतु 2025 हितग्राहियों को राषि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यषील पूंजी हेतु 80 हितग्राहियों को राषि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 40 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।
पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवष्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही
15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राषि होगी वसूल

रतलाम 12 नवम्बर । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेषन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देषित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राषि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

डेंगू से बचाव हेतु प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव निरंतर जारी

रतलाम 12 नवम्बर। कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नागरिकों को मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारी से बचाव हेतु नगर प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से कीटनाषक दवा का छिड़काव का कार्य निरंतर जारी है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर बताया कि शहर में बढ़ रहे डेंगू व मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं निगम प्रषासक श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार प्रत्येक झोन में एक-एक डबल बैरल फॉगिंग मषीन से नगरनिगम व मलेरिया विभाग द्वारा रूट चार्ट अनुसार सुबह 05ः30 से 08ः00 बजे तक व शाम को 06ः00 से रात 10ः00 बजे तक किया जा रहा है साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक-एक हैण्ड स्प्रे मशीन से भी कीटनाषक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 12 नवम्बर । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारो, व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 12 नवम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देषित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिष्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देषित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कषॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को

निर्देषित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 12 नवम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/12.11.2021/न.पा.निगम, रतलाम.